

- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2416/17/20]

- (iii) (a) Sixty-first Annual Report and Accounts of the CAPEXIL EPC (*formerly Chemicals and Allied Products Export Promotion Council*), Kolkata, for the year 2018-19, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Council.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2151/17/20]

#### **Notification of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution**

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): महोदय, मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अधीन भारतीय मानक ब्यूरो (वैज्ञानिक काडर भर्ती) विनियम, 2019 को प्रकाशित करने वाली उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अधिसूचना सं. फाइल सं. बी.एस.11/07/2019, दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 की एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूँ।

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2132/17/20]

#### **Reports and Accounts (2018-19) of the NSC Ltd., New Delhi and the PPV and FRA, New Delhi and related papers**

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परशोत्तम रूपाला): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- I. (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) (ख) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में):-
- (क) 2018-19 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) लिमिटेड, नई दिल्ली का छप्पनवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन और उन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) उपर्युक्त निगम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में)।

[Placed in Library. *See* No. L.T. 2135/17/20]

- II. (1) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 85 और धारा 62 की उप-धारा (4) के अधीन निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में):-
- (क) 2018-19 के वर्ष के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एण्ड एफआरए), नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन।
- (ख) 2018-19 के वर्ष के लिए पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एण्ड एफआरए), नई दिल्ली के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (ग) उपर्युक्त प्राधिकरण के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (2) ऊपर (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में)।

[Placed in Library. See No. L.T. 2136/17/20]

**Reports and Accounts (2018-19) of the NRIDA, New Delhi, the BRLE, New Delhi and CAPART, New Delhi and related papers**

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखती हूँ:-

- (i) (क) 2018-19 के वर्ष के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास अभिकरण (एनआरआईडीए), नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ख) उपर्युक्त अभिकरण के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[Placed in Library. See No. L.T. 2104/17/19]

- (ii) (क) 2018-19 के वर्ष के लिए भारत रुरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बी.आर.एल.एफ.), नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।
- (ख) उपर्युक्त फाउंडेशन के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (ग) ऊपर (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।

[Placed in Library. See No. L.T. 1836/17/19]

- (iii) (क) 2018-19 के वर्ष के लिए काउंसिल फॉर एड्वान्समेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रुरल टेक्नोलॉजी (कपार्ट), नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे तथा लेखाओं पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।